

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठासीन अधिकारी-

रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर
57 / 2025 प्रा.पत्र / 2025

तारीख दायरा
17.06.2025

तारीख निर्णय
07.08.2025

डॉ. मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण,
टोंक राज0

.....प्रार्थी

बनाम

1-श्री रामबिलास शर्मा पुत्र श्री जगदीश शर्मा एफ.बी.ओ. मैसर्स लक्ष्मी दूध डेयरी पेट्रोल पम्प
के पीछे पटेल नगर देवली जिला टोंक राज0 निवासी पटेल नगर देवली जिला टोंक (राज0)।
पिनकोड-304804 मोबाईल नं0 8104232434

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफ.एस.एस. एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित-

- 1-पैरोकार सरकार।
- 2-अप्रार्थी श्री रामबिलास शर्मा स्वयं उप0।

:-निर्णय:-

दिनांक 07/8/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 19.04.2025 को समय 12:31 पी.एम. पर मैसर्स लक्ष्मी दूध डेयरी पेट्रोल पम्प के पीछे पटेल नगर देवली जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री रामबिलास शर्मा पुत्र श्री जगदीश शर्मा अपने प्रतिष्ठान मैसर्स लक्ष्मी दूध डेयरी पेट्रोल पम्प के पीछे पटेल नगर देवली जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ गुड, तेल, घी व अन्य खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री रामबिलास शर्मा पुत्र श्री जगदीश शर्मा को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री रामबिलास शर्मा पुत्र श्री जगदीश शर्मा ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक/प्रोपरायटर होना स्वीकार किया तथा मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा श्री रामबिलास शर्मा की उपस्थिति में प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में घी, दूध, छाछ, दही व पेय खाद्य पदार्थ आदि के अलग-अलग ब्रण्ड खाद्य पदार्थ के साथ **मिल्क क्रीम मिडियम फेट (Milk Cream Medium Fat)** एलुमिनियम की केन में 25 किग्रा वास्ते आम जनता को विक्रय के दुकान रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री रामबिलास शर्मा पुत्र श्री जगदीश शर्मा को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्वय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ. बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री रामबिलास शर्मा पुत्र श्री जगदीश शर्मा व गवाहान



Handwritten signature
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि **मिल्क क्रीम मिडियम फेट (Milk Cream Medium Fat)** एलुमिनियम केन में 25 किग्रा **मिल्क क्रीम मिडियम फेट (Milk Cream Medium Fat)** में से कुल 800 ग्राम वास्ते नमूना जांच कय किया जा रहा है, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **मिल्क क्रीम मिडियम फेट (Milk Cream Medium Fat)** 200-200 ग्राम के 4 नग कुल 800 ग्राम को बराबर-बराबर 16-16 बूंदे फार्मेलिन 40 प्रतिशत विलयन बतौर परिरक्षित डाली एवं प्रत्येक शिशी को ढक्कन लगाकर एयरटाइट किया प्रत्येक शिशी को कागज में लपेटकर, नियमानुसार चार भाग तैयार किये, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-4322 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग-अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-4322 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री रामबिलास शर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद शर्मा मालिक/एफ.बी.ओ. मैसर्स लक्ष्मी दूध डेयरी पेट्रोल पम्प के पीछे पटेल नगर देवली जिला टोंक द्वारा **मिल्क क्रीम मिडियम फेट** को स्वयं द्वारा निर्मित करना पाया गया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2025/548 दिनांक 11.05.2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल0एस0/1498/एक्ट/2025/1532 दिनांक 28.04.2025 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक रूप की जांच करवाने हेतु कय किया गया **मिल्क क्रीम मिडियम फेट (Milk Cream**



Adl
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Medium Fat) खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन करने के कारण अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी श्री रामबिलास शर्मा स्वयं उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। उक्त खाद्य पदार्थ केवल कुछ मानकों को पूरा नहीं करता है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **मिल्क क्रीम मिडियम फेट (Milk Cream Medium Fat)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **मिल्क क्रीम मिडियम फेट (Milk Cream Medium Fat)** का नमूना जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 15,000/- (अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावे। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़्तर हो।



आज दिनांक 07/8/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन साकरिया)
न्याय निदेशन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0